लय उपखण्ड़ अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ राज0

पीठासीन अधिकारी– सुश्री अंजू शर्मा , आर.ए.एस.

——

दिनांक: 17.03.2021

रण संख्या– 116 / 2020 वाद

उनवान

माधू पुत्र नोला जाट वयस्क निवासी मोखमपुरा तहसील भदेसर

वरदी बाई पत्नि माधू जाट वयस्क निवासी मोखमपुरा तहसील भदेसर

................वादीगण

।। बनाम ।।

1. गोपी पुत्र चम्पा जाट वयस्क निवासी मोखमपुरा तहसील भदेसर
2. नारायण पुत्र गोटू जाट वयस्क निवासी मोखमपुरा तहसील भदेसर
3. हीरालाल पुत्र माधवलाल जाट वयस्क निवासी मोखमपुरा तहसील भदेसर
4. भेरूलाल पुत्र वरदा जाट वयस्क निवासी मोखमपुरा तहसील भदेसर
5. हीरालाल पुत्र माधवलाल जाट वयस्क निवासी मोखमपुरा तहसील भदेसर
6. कालू पुत्र चम्पा जाट वयस्क निवासी मोखमपुरा तहसील भदेसर
7. केसर पत्नि गोपीलाल जाट वयस्क निवासी मोखमपुरा तहसील भदेसर
8. मांगी पुत्री जीतू जाट वयस्क निवासी मोखमपुरा तहसील भदेसर
9. रतन पुत्र जीतू जाट वयस्क निवासी मोखमपुरा तहसील भदेसर
10. रामेश्वर पुत्र जीतू जाट वयस्क निवासी मोखमपुरा तहसील भदेसर
11. लेहरी पत्नि माधुलाल गाडरी वयस्क निवासी मोखमपुरा तहसील भदेसर
12. शंकर पुत्र किशोर गाडरी वयस्क निवासी मोखमपुरा तहसील भदेसर
13. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार सा0 भदेसर राज0

.........प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राज. टिन्नेसी एक्ट 1955

उपस्थित– श्री उमेश आगाल वकील वादी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.06 16:50:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

हस्तगत वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने एक वादपत्र राजस्थान
कारी अधिनियम 1955 की धारा 53 188 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि :-

यह कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 12 तक की संयुक्त खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीसात गांव मोखमपुरा पटवार हल्का लेसवा में स्थित है जिसके खाता संख्या 110 आराजी नमवर 103 रकबा 1.2300 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 76 की आराजी नमवर 347, 348, 349 कुल किता 3 कुल रकबा 2.0200 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 75 की आराजी नमवर 223, 228, 299, 302, 306, 307, 308, 373, 374 कुल किता–9 कुल रकबा 5.7200 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 74 की आराजी नम्बर 301 , 303 कुल किता–2 कुल रकबा 1.6900 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 73 की आराजी नमवर 188, 189, 192, 193, 194, 222 कुल किता–6 कुल रकबा 2.6800 हैक्टैयर वादीगण एवं प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है।

2. यह कि वाद की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि मेंखाता संख्या 110 में वादी संख्या 1 का 1/2 व वादी संख्या 2 का 1/18 हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/18 , प्रतिवादी संख्या 2 का 2/9 प्रतिवादी संख्या 3 का 1/6 हिस्सा निहीत है व खाता संख्या 76 में वादी संख्या 1 का 1/2 वादी संख्या 2 का 1/18 व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/18 प्रतिवादी संख्या 2 का 2/9 प्रतिवादी संख्या 4 का 35/606 प्रतिवादी संख्या 5 का 11/101 हक हिस्सा निहित है व खाता संख्या 75 में वादी संख्या 1 का 1/1 व वादी संख्या 2 का 1/18 प्रतिवादी संख्या 1 का 1/18 प्रतिवादी संख्या 2 का 2/9 प्रतिवादी संख्या का 1/6 हक हिस्सा निहित है व खाता संख्या 74 में वादी संख्या 1 का 1/2 व वादी संख्या 2 का 1/18 व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/18 प्रतिवादी संख्या 2 का 1/6 प्रतिवादी संख्या 4 का 1/6 प्रतिवादी संख्या 6 का 1/18 हक हिस्सा निहित है व खाता संख्या 73 में वादी संख्या 1 का 1/3 व वादी संख्या 2 का 1/54 प्रतिवादी संख्या 1 का 4/81 प्रतिवादी संख्या 2 का 4/81 प्रतिवादी संख्या 4 का 4/81 प्रतिवादी संख्या 7 का 2!6 प्रतिवादी संख्या 8 का 1/18 प्रतिवादी संख्या 9 का 1/18 प्रतिवादी संख्या 10 का 1/18 प्रतिवादी संख्या 11 का 1/6 प्रतिवादी संख्या 12 का 1/6 हक हिस्सा निहित होकर उसी हक हिस्से अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहें है परन्तु खाता शामलाती होने से तथा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंअवाडा नहीं होने से प्रतिवादीगण द्वारा इच्छानुसार बाड का डोल डाल कर अवरोध पैदा कर रहें है

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.06 16:50:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

जिससे अपने खेत पर जाने से अवरोधित हे व बंटवाडा नहीं होने से प्रतिवादीगण वादीगण के हिस्से में अनावश्यक रूप से दखल अन्दाजी कर रहें है जिससे विवाद पैदा हो रहा है ।

यह कि वादीगण का उक्त चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी में अपने पुश्तैनी आराजीयात में कब्जे काश्त होकर काफी लम्बे समय से उक्त आराजीयात संयुक्त रूप से उपयोग उपभोग कर रहें है लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा बेवजह वादीगण के हिस्से में जाने वाले रास्तों को रोक कर व अन्य परेशानियां कर विवाद का बंढावा दे रहें है ।

यह कि वादीगण अपने हिस्से में आने वाली भूमि को उन्नत कर बाड लगाना चाहता है परन्तु खाता सामलाती होने से तथा विधिवत वटवाड़ा नहीं होने से ऐसा नहीं कर पा रहा है व प्रतिवादीगणों द्वारा वादीगण के संयुक्त रास्तो को जेसीबी द्वारा डोल डाल कर अवरोधित कर दिया है जिससे वादीगण अपनी आराजी में आने जाने से वंचित हो सकते है। इसलिये बटवाडे का यह वाद पत्र पेश है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 1 से 12 तक बटवाडा नहीं होने से अपनी मनमर्जी से जमीनों पर कब्जे कर नये निर्माण काम कर रहे है व रोकने पर लडाई झगडा करने को आमादा रहते है व वादीगण के उक्त संयुक्त सामित्व वाली आराजीयात के सामुहित रास्तो को जेसीबी द्वारा डोल डाल कर रोक दिया है जिससे वादीगण अपनी आराजीयात में आने जाने से वंचित हो सकता है इसलिये इन्हें स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण के हिस्से में आने वाली भूमि में किसी प्रकार का अवरोध न स्वयं पेदा कर नहीं किसी अन्य से करावे व वादीगण के आराजीयात में आने जाने वाले रास्ते में किसी प्रकार का अवरोध ना तो स्वयं पैदा कर ना किसी अन्य से पैदा करावे। इस हेतु प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरवाया जावे।

6. यह कि वादीगण ने कई बार आपस में मिल बैठ कर बटवाडा करवाने को कहां तो प्रतिवादीगण ने स्पष्ट मना कर दिया व वादीगण के आराजीयात में आने जाने वाले संयुक्त सम्मिलित रास्तों को बंद करने की धमकी दी व जेसीबी द्वारा डोल डाल कर वादीगण को अपनी आराजीयात में जाने से रोका जा रहा है। इसलिये उक्त बटवाडे का वाद पत्र पेश है।

7. यह कि वादकारण दिनांक 14.07.2020 को प्रतिवादी संख्या 1 से 12 द्वारा बंटवाडे के लिये अंतिम बार मना करने व वादीण के आरीजीयात के रास्ते को रोकने से पैदा होकर निरन्तर जारी है ।

अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.06 16:50:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया । बरोज पेशी प्रतिवादीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने के आदेश पारीत किये गये ।

प्रकरण में जवाबदावा प्रस्तुत नहीं होने से वाद बिन्दु कायम नहीं किये गये । वाद के समर्थन में वादी की ओर से निम्न दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये :–

1. नकल जमाबन्दी मौजा मोखमपुरा खाता संख्या 110 संवत् 2076 प्रदर्श–1
2. नकल जमाबन्दी मौजा मोखमपुरा खाता संख्या 76 संवत् 2076 प्रदर्श–2
3. नकल जमाबन्दी मौजा मोखमपुरा खाता संख्या 75 संवत् 2076 प्रदर्श–3
4. नकल जमाबन्दी मौजा मोखमपुरा खाता संख्या 74 संवत् 2076 प्रदर्श–4
5. नकल जमाबन्दी मौजा मोखमपुरा खाता संख्या 73 संवत् 2076 प्रदर्श–5
6. नक्शा ट्रेस प्रदर्श–6
7. नक्शा ट्रेस प्रदर्ष–7
8. नकल जमाबन्दी मौजा मोखमपुरा खाता संख्या 73, 74 संवत् 2072–2075 प्रदर्श–8
9. नकल जमाबन्दी मौजा मोखमपुरा खाता संख्या 75, 76 संवत् 2072–2075 प्रदर्श–9
10. नकल जमाबन्दी मौजा मोखमपुरा खाता संख्या 77, 78, 79, संवत् 2072–2075 प्रदर्श–10
11. नकल जमाबन्दी मौजा मोखमपुरा खाता संख्या 108 संवत् 2072–2075 प्रदर्श–11
12. बयान शपथ पत्र आदेश 18 नियम 04 जा0दी0 श्री माधू पिता नोला जाट निवासी मोखमपुरा

लायक अधिवक्ता वादी की बहस एक पक्षीय सुनी गई जिन्होंनें भी वाद वर्णित तथ्यों को दौहराया गया । प्रतिवादीगण की ओर से वाद का खण्डन नहीं किये जाने से वाद के तथ्यों को बल मिलता हे । प्रस्तुत जमाबन्दीयों अनुसार विवादित आराजीयात वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज रेकार्ड हे जिसका माफिक हक हिस्सा विभाजन चाहा गया है । अतः वाद स्वीकार किया जाना उचित समझते है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण के हक तक वाद प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाता है कि मोजा मोखमपुरा पटवार हल्का लेसवा में स्थित है जिसके खाता संख्या 110 आराजी नमबर 103 रकबा 1.2300 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 76 की आराजी नमबर 347, 348, 349 कुल किता 3 कुल रकबा 2.0200 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 75 की आराजी नमबर 223, 228, 299, 302, 306, 307, 308, 373, 374 कुल किता–9 कुल रकबा 5.7200 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 74 की आराजी नम्बर 301 , 303 कुल किता–2 कुल रकबा 1.6900 हैक्टेयर एवं खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.06 16:50:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner

संख्या 73 की आराजी नमबर 188, 189, 192, 193, 194, 222 कुल किता–6 कुल रकबा 2. 6800 हैक्टैयर भूमि में वादीगण का जमाबन्दी में दर्ज हिस्सा मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विभाजन से अलग कर अलग अलग खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है । तहसीलदार भदेसर को 1000/– अक्षरे एक हजार रूपये फीस पर कमीश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार विभाजन प्रस्ताव लगान फाटनी कर कर मय नक्शा ट्रेस उभय पक्ष की मौजूदगी में तैयार कराया जाकर एक माह में प्रस्तुत करें । विभाजन में संबंधीत काश्तकार को अपनी जोत पर पहुंच मार्ग की व्यवस्था सुरक्षित की जावे । धारा 188 की दाद साबित नहीं होने से खारीज की जाती है । इसी आशय का पर्चा डिक्री एवं हुक्मनामा अलग से जारी हो ।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

(अंजु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर,

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.06 16:30:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by TapScanner